उद्योग

10 से 50 एकड़ निजी भूमि कराई जाएगी उपलब्ध

निजी भूमि पर विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। शासन ने निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला किया है। इसके तहत 10 से 50 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। भूमि मिलने के बाद सरकार की ओर से निवेशकों को उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी। इसको लेकर विभाग की ओर से लोगों को आवेदन मांगे गए हैं।

शासन ने प्लेज स्कीम के तहत जिले में 10 से 50 एकड़ की निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने का फैसला लिया है। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए इच्छुक एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति का समूह बनाकर जमीन दे सकते हैं।

अलीगढ़, सहारनपुर और कानपुर देहात में प्रस्ताव मंजूर

जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर देहात से इसको लेकर प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। क्योंकि जिले में भी जिले में भी इंडस्ट्री बनाए जाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे में यहां पर जमीदार से आमंत्रण मांगे गए हैं।

शासन की ओर से चहारदीवारी, पार्क, सड़क और निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का लोन छह साल के लिए एक प्रतिशत के हिसाब से प्रति एक एकड़ पर दिया जाएगा।

जमीदार व्यक्ति औद्योगिक कंपनी के मालिकों को 99 साल के लिए किराए पर जगह का आवंटित करेंगे। इस जमीन पर इकाई स्थापित करने, प्रोत्साहित करने, पूंजी निवेश को आकर्षित करने अधिकाधिक रोजगार दिए जाने के लिए शासन की ओर से प्रयास किए जाएंगे।

सालारपुर का औद्योगिक आस्थान। संवाद

उद्यमी स्थापित कर सकेंगे अपनी इकाइयां

जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कम चल रहा है। इसको लेकर जल्द ही जिलास्तरीय अधिकारियों, उद्यमियों, पंजीकृत एजेंटस, प्रमोटर्स रियल स्टेट आदि के साथ डीएम निधि श्रीवास्तव बैठक करेंगे। ताकि जिले में उद्योगों लगाने के लिए जमीन मिल सके। इससे बाद उद्यमी यहां पर अपनी इकाइयों को स्थापित कर सकेंगे।